

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी :-श्री सुरेन्द्रसिंह खगारोत(आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन सख्या:-62/2021

प्रार्थीगण :-

1. गोविन्दराम पुत्र बादराराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. चुकी देवी पत्नि बादराराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. जवानाराम पुत्र बादराराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. पुखराज पुत्र बादराराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. पारसमल पुत्र बादराराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
6. बाबूडा पुत्र धगीया जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
7. मुकेश पुत्र बादराराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
8. मागिया पुत्र पूनमाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
9. राणा पुत्र पूनमाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:-

1. कुईयाराम पुत्र उकाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. कमला देवी पत्नि नाथूराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. स्व. सावलाराम के वारिसान  
3/1 केलम पुत्री सावलाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
3/2 पूजा पुत्री सावलाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
3/3 पिकी कुमारी पुत्री सावलाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. कानाराम पुत्र तेजाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. स्व. चौथिया के वारिसान  
5/1 बदकी पत्नि चौथिया जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
5/2 ओबाराम पुत्र चौथिया जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
5/3 चम्पालाल पुत्र चौथिया जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

6. देवा पुत्र हकिया जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
7. नाथूराम पुत्र सोनाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
8. पाची देवी पत्नि तेजाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
9. फुआराम पुत्र सोनाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
10. स्व. बिजकी पत्नि राणाराम के वारिसान
  - 10/1 मदिया पुत्री राणाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
  - 10/2 मेलकी पुत्री राणाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
11. मालाराम पुत्र तेजाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
12. लादू पुत्री सोनाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
13. स्व. लाभूडा पुत्र भेरा के वारिसान
  - 13/1 रणछोडाराम पुत्र लाभूडा जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
  - 13/2 हडमानाराम पुत्र लाभूडा जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
14. सन्तु देवी पत्नि सावलाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
15. ओटी देवी पत्नि साकाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
16. स्व. ढलाराम पुत्र वरदाराम के वारिसान
  - 16/1 पेमराम पुत्र ढलाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
  - 16/2 घेवरराम पुत्र ढलाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
17. दलपत कुमार पुत्र साकाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
18. पूजाराम पुत्र गोकाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
19. परागा पुत्र गणेशा जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
20. मागाराम पुत्र वरदा जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
21. शकरलाल पुत्र साकाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
22. सूजाराम पुत्र साकाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
23. सवाराम पुत्र गोकाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा



सुपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

24. स्व. सारो देवी पत्नि गोकाराम के वारिसान  
 24/1 सवाराम पुत्र गोकाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 25/1 पूजाराम पुत्र गोकाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
25. सोमताराम पुत्र साकाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
26. स्व. कपूराराम पुत्र खेताजी के वारिसान  
 26/1 अन्तरो पत्नि कपूराराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 26/2 पारस पुत्र कपूराराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 26/3 सूजाराम पुत्र कपूराराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 26/4 नेमाराम पुत्र कपूराराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 26/5 मनाराम पुत्र कपूराराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
27. कानाराम पुत्र मगलाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा नाबालिग जरिये कुदरती वली माता दरिया देवी पत्नि मगलाराम
28. गौतम पुत्र मगलाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा नाबालिग जरिये कुदरती वली माता दरिया देवी पत्नि मगलाराम
29. दरिया देवी पत्नि मगलाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर
30. स्व. जोगाराम पुत्र खेताजी के वारिसान  
 30/1 सवाराम पुत्र जोगाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
31. दीपाराम पुत्र मोकाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
32. पुखराज पुत्र मोकाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
33. सोमताराम पुत्र मोकाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
34. स्व. काली देवी पत्नि मालाराम के वारिसान  
 34/1 चौथाराम पुत्र मालारामभील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 34/2 सावलाराम पुत्र मालारामभील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 34/3 स्व. शकरलाल पुत्र मालाराम के वारिसान  
 34/3/1 मदन पुत्र शकरलाल जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 34/3/2 ढाटाराम पुत्र शकरलाल जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 34/3/3 प्रेम पुत्र शकरलाल जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा



उपखण्ड अधिकारी  
 सिवाना (बालोतरा)

- 34/3/4 भूरारामपुत्र शंकरलाल जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 34/3/5 ढलाराम पुत्र शंकरलाल जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 34/3/6 वजाराम पुत्र शंकरलाल जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 34/3/7 मीना देवी पत्नि शंकरलाल जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

35. चौथाराम पुत्र मालाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 36. ढलाराम पुत्र शंकरलाल जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 37. धनाराम पुत्र शंकरलाल जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 38. प्रेम कुमार पुत्र शंकरलाल जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 39. वजाराम पुत्र शंकरलाल जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 40. भूराराम पुत्र शंकरलाल जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 41. मदनलाल पुत्र शंकरलाल जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 42. मीना देवी पत्नि शंकरलाल जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 43. मानाराम पुत्र उकाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 44. सावल पुत्र मालाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 45. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
 46. भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955

उपस्थित :-

1. श्री ललित जागिड, गणपतसिंह गोलिया अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री कैलाशपुरी विप्रार्थीगण 3/1, 3/3, 4, 11, 14, 18, 23, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 41, 42 व 44
3. विप्रार्थी सख्या 6, 7, 9, 19, 20, 21, 22 व 25 का ईकबाली जवाब
4. शेष विप्रार्थीगण एकपक्षीय कार्यवाही

—: संशोधित आदेश :-

दिनांक :- 19.12.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 712 रकबा 1.1736 हैक्टयर किस्म मगरा भूमि सरहद मौजा मोकलसर सिवाना जिला बालोतरा मे अवस्थित है, जो सिवाना से जालोर जाने वाले नेशनल हाईवे 325 के बदिशा पश्चिम मे खसरा नंबर 712



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

रकबा 1.1736 हैक्टेयर किस्म मगरा मे आवागमन हेतु रास्ता बदिशा पूर्व मे स्थित विप्रार्थीगण के खेत खसरा नबर क्रमशः 1915/716, 715 रकबा क्रमशः 1.1331 व 2.1692 के दक्षिणी माठ व खसरा सख्या क्रमशः 1911/717, 718, रकबा क्रमशः 3.4803 व 1.4245 के उत्तरी माठ के किनारे-किनारे होते हुए आगे राष्ट्रीय राजमार्ग (सिवाना से जालोर ) 325 तक जाता है, प्रार्थीगण को अपने खेत से आवागमन हेतु, जो आवेदन के सलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) मे बरग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थी स. 1 से 44 के उक्त खेत मे से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण बरसात के मौसम मे कृषि सयत्र लाता ले जाता है विप्रार्थी सख्या 1 से 44 रास्ता अपनी खातेदारी मे अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन मे व्यवधान पैदा करते है, अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे गैरमुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा मे तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी सख्या 1 से 44 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने मे अपनी सहमति व्यक्ति की

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई विप्रार्थी सख्या 3/1, 3/3, 4, 11, 14, 18, 23, 28, 29, 31,33,35,37,38,41,42 व 44 की ओर से वकील श्री कैलाशपुरी द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया गया, विप्रार्थी सख्या देवा पुत्र हकिया,नाथूराम पुत्र सोनाराम, फुआराम पुत्र सोनाराम,मांगाराम पुत्र वरदाराम, सुजाराम पुत्र साकाराम,परगाराम पुत्र गणेशाराम, सोमन्ताराम पुत्र सेकाराम,शंकर पुत्र सेकाराम ने इकबाली जवाब प्रस्तुत बिना किसी प्रतिफल के रास्ते प्रदान किये जाने हेतु सहमति जाहिर की शेष विप्रार्थीगण के विरुद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट तलब की गई

तहसीलदार,सिवाना द्वारा पत्राक राजस्व/2022/118 दिनाक 01.02.2022 के जरिये मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई, मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण के खेत मे आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई राजकीय कटाण मार्ग नही होना बताया है,मौका रिपोर्ट मे प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर 2 विद्युत पोल स्थित होना बताया, मौका रिपोर्ट पर प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी, विप्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से मौका रिपोर्ट पर प्रस्तुत मौखिक आपत्ति के आधार पर 4 बिन्दुओ पर तहसीलदार सिवाना से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई

तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्राक राजस्व/2022/1449 दिनाक 27.12.2022 के जरिये जिस पर पुनः मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई, मौका रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मे प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के पद सख्या 04 मे अंकित दोनो विद्युत पोल को प्रस्तावित



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

रास्ते की भूमि से हटा दिए गए हैं, प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर अब कोई विद्युत पोल नहीं है

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 712 रकबा 1.1736 हैक्टर किस्म मगरा भूमि सरहद मौजा मोकलसर सिवाना जिला बालोतरा में अवस्थित है, जो सिवाना से जालोर जाने वाले नेशनल हाईवे 325 के बदिशा पश्चिम में खसरा नंबर 712 रकबा 1.1736 हैक्टर किस्म मगरा में आवागमन हेतु रास्ता बदिशा पूर्व में स्थित विप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर क्रमशः 1915/716, 715 रकबा : 1.1331 व 2.1692 के दक्षिणी माठ व खसरा सख्या क्रमशः 1911/717, 718, रकबा क्रमशः 3.4803, 1.4245 के उत्तरी माठ के किनारे-किनारे होते हुए आगे राष्ट्रीय राजमार्ग (सिवाना से जालोर ) 325 तक जाता है, प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवागमन का विप्रार्थी सख्या 1 से 44 के खातेदारी में स्थित उक्त रास्ता ही सबसे निकटतम व लघुत्तम रास्ता है जिसकी ताईद तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत दोनों मौका रिपोर्ट से होती है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में से चाहे गये रास्ते को गै.मु.रास्ता घोषित किया जावे उक्त रास्ते में प्रभावित हो रही भूमि के एवज में प्रार्थीगण विप्रार्थी सख्या 1 से 44 को प्रतिफल दिये जाने हेतु सहमत है

विप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के बदिशा दक्षिण-पूर्व अवस्थित खसरा सख्या 719 व बदिशा दक्षिण में अवस्थित खसरा सख्या 711 में से आवागमन करते हैं प्रार्थीगण के खेत के तीन तरफ रास्ता मौजूद है प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवागमन का रास्ता उपलब्ध होने के उपरान्त भी प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है चूंकि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर मय हर्जाना खारिज फरमाया जावे

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गभीरता पूर्वक अवलोकन व मनन किया विप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब में प्रार्थीगण के खातेदारी में आवागमन हेतु खसरा सख्या 719 में बताया गया रास्ता विप्रार्थी कईयाराम पुत्र उकाराम वगैरह की खातेदारी का है, विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के आवागमन हेतु खसरा सख्या 720 में बताया गया रास्ते की किस्म गै.मु.नाला भूमि है, विप्रार्थीगण के अधिवक्ता के जबाब प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट पर आपत्ति में प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता होना बताया है, वैकल्पिक रास्ते में जो खसरे का उल्लेख किया गया है उन वैकल्पिक रास्तों के सम्बन्ध में तहसीलदार, सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में कोई अकन नहीं किया गया है, जिससे यह उपधारणा



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

की जाती है कि प्रार्थीगण के खेत में प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है, तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्रांक राजस्व/2021/799 दिनांक 16.11.2021 को प्रेषित रिपोर्ट में प्रार्थीगण के खेत खसरा सख्या 712 में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा सख्या 1915/716, 715, 1911/712, 718 में से जो रास्ता चाहा गया है उस खसरे से सड़क मार्ग से जुड़ता है जिसमें से रास्ता दिये जाने हेतु खातेदार देवा पुत्र हकिया, नाथूराम पुत्र सोनाराम, फुआराम पुत्र सोनाराम, मांगाराम पुत्र वरदाराम, सुजाराम पुत्र साकाराम, परगाराम पुत्र गणेशाराम, सोमन्ताराम पुत्र सेकाराम, शंकर पुत्र सेकाराम द्वारा अपने खातेदारी भूमि में से बिना प्रतिफल रास्ता दिये जाने की सहमति व स्वीकृति अज अदालत में पेश की है तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा सख्या 719 रास्ते की भूमि नहीं है, जो कुईयाराम के नाम से खातेदारी भूमि है, ऐसी सूरत में विप्रार्थीगण के तर्क मानने योग्य नहीं है, तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खेत में आवागमन का कोई रास्ता मौजूद नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता ही सबसे निकटतम व सुलभ रास्ता है

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना की ख.स. 712 में आवागमन हेतु विप्रार्थी स. 1 से 44 की खातेदारी भूमि ख.स. 1915/716 में से 0.1967 बीघा अर्थात् 0.0317 हैक्टेयर, खसरा सख्या 1911/717 में से 0.2944 बीघा अर्थात् 0.0476 हैक्टेयर, खसरा सख्या 718 में से 0.3095 अर्थात् 0.0510 हैक्टेयर व खसरा सख्या 715 में से 0.2869 बीघा अर्थात् 0.0464 हैक्टेयर लम्बाई में तथा 2 गट्टा चौड़ाई में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलग्न नक्शे में बरग केसरिया से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में तहसीलदार सिवाना द्वारा रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि विप्रार्थी सख्या 1 से 44 को दी जावे, विप्रार्थी सख्या 1 से 44 द्वारा राशि लेने से इन्कार करने की स्थिति उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एव लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है ।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र क्रमांक-राजस्व/2022/118 दिनांक 01.02.2022 प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा

आदेश आज दिनांक 19.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।



(सुरेन्द्र सिंह खगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बिहार)

